न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा
जमानत प्रार्थना पत्र सं0: 01/2017

श्रीमती चॉदनी कुरैशी पत्नी श्री मुवीनउद्दीन, नि0 एल.आई.जी. 159–160, ताजनगरी, फेस–1, ताजगंज, थाना ताजगंज, जिला आगरा

.....प्रार्थिया/अभियुक्ता

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....विपक्षी

मु0अ0सं0: 558/2016
धाराः 34 भा0द0सं0
थानाः ताजगंज, जिला आगरा।

दिनांकः 03.01.2017

आदेश

यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थिया/अभियुक्ता श्रीमती चॉदनी कुरैशी द्वारा मु0अ0सं0 558/2016 धारा 34 भा0द0सं0 थाना ताजगंज, जिला आगरा मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्ता के पेरोकार राहुल शर्मा द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

मैंने प्रार्थिया/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एंव विद्वान शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया ।

प्रार्थिया/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्ता की जमानत मुख्य धारा 302, 201 भा0द0सं0 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है तथा जमानत नामे भी स्वीकृत किए जाकर अभियुक्ता का रिहाई आदेश भेजा गया है, किन्तु परीक्षण के दौरान अभियुक्ता के विरुद्ध आरोप में उक्त धाराओं के अतिरिक्त धारा 34 भा0द0सं0 की बढ़ोत्तरी की गई है, जिसके कारण अभियुक्ता की रिहाई नहीं हो सकी है, अतः धारा 34 भा0द0सं0 में भी जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गई।

विद्वान शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि अभियुक्ता की मुख्य धारा 302, 201 भा0द0सं0 में जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्ता श्रीमती चॉदीन कुरैशी की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2016 को स्वीकार की जा चुकी है तथा अभियुक्ता के जमानतनामे भी उक्त धाराओं में स्वीकृत किए जाकर रिहाई भेजी जा चुकी है, किन्तु अभियुक्ता के विरुद्ध आरोप धारा 302/34, 201 भा0द0सं0 में

आरोप विरचित किया गया है, जिसके कारण अभियुक्ता की रिहाई सम्भव नहीं हो सकी है।

अतः अभियुक्ता को धारा 34 भा0द0सं0 में भी जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है।

प्रार्थिया/अभियुक्ता श्रीमती चॉदनी कुरैशी को मु0अ0सं0 558/2016 धारा 302, 201 भा0द0सं0 थाना ताजगंज, जिला आगरा के मामले में दाखिल व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं प्रतिभूपत्र पर ही अभियुक्ता को धारा 34 भा0द0सं0 में भी जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया जाता है।

ह0/–

(सरोज यादव)
सत्र न्यायाधीश,आगरा
03.01.2017